महाविद्यालय की अन्य व्यवस्थायें

1. अनुशासन व्यवस्था :

(अ) महाविद्यालय के सभी छात्र/छात्राओं को संस्था के समस्त नियमों का पालन करते हुए पूर्णतः अनुशासित रहना अनिवार्य है। अनुशासन व्यवस्था की दृष्टि से समस्त विद्यार्थी मुख्य अनुशासक एवं अनुशासन समिति के अधीन रहेंगे। छात्रों को उनके आदेशों का पालन करना अनिवार्य है।

(ब) छात्र/छात्राओं को अपना परिचय–पत्र महाविद्यालय परिसर एवं सार्वजनिक स्थानों पर सदैव अपने पास रखना होगा। इसकी अवहेलना पर छात्रदण्ड के भागी होंगे।

(स) किसी प्रवक्ता या कालेज के कर्मचारी के माँगने पर उन्हें परिचय–पत्र दिखाना आवश्यक है।

(द) मुख्य अनुशासक के परामर्श एवं सहायता के लिए अनुशासन समिति का गठन किया गया है जो अनुशासन सम्बन्धी सर्वोच्च निर्णय लेकर कार्यवाही हेतु प्राचार्य को संस्तुति करेगी।

(य) छात्र अतिरिक्त समय में इधर–उधर न घूमें तथा यह भी ध्यान में रखें कि पढ़ाई की जा रही कक्षाओं में किसी प्रकार का विघ्न न हो।

(र) किसी भी विद्यार्थी को अवज्ञा, अकर्मण्यता, अनुशासनहीनता तथा दुर्व्यवहार के अपराध में गुरुतानुसार कोई भी शिक्षक अनुशासन समिति अथवा प्राचार्य निम्नांकित दण्ड दे सकते हैं–

(1) अर्थदण्ड (2) निलम्बन (3) निष्कासन (4) निर्वासन

(5) विश्वविद्यालय परीक्षा से निरोधन एवं निर्वाण।

इस प्रकार से निष्कासित विद्यार्थी निष्कासन काल में किसी अन्य महाविद्यालय में प्रवेश नहीं ले सकेगा। इस प्रकार के निर्वासित विद्यार्थी प्राचार्य की अनुमति के वगैर किसी अन्य में प्रवेश नहीं ले सकेगा। निलम्बन प्राप्त विद्यार्थियों का निलम्बन अवधि में संस्था में प्रवेश पूर्णतः निषिद्ध होगा। अग्रिम निर्णय हेतु उनके अभिभावक महाविद्यालय में सम्पर्क करें।

अभिभावकों से अनुरोध

महाविद्यालय परिवार आपके संरक्षित छात्र–छात्राओं के जीवन को अनुशासित, सुख–सुविधापूर्ण एवं सापेक्ष सार्थकता प्रदान करने हेतु कृत संकल्प है। इस पुनीत एवं महान कार्य हेतु आपका सहयोग अपिरहार्य है। महाविद्यालय परिवार के लिए सभी विद्यार्थियों की व्यक्तिगत रुप से देखभाल करना सम्भव नहीं है अतः बच्चों को केवल आर्थिक सहयोग देकर ही अपने कर्तव्य की इति समझने की भूल न करें वरन् समय–समय पर उनकी व्यक्तिगत जीवनचर्या एवं अध्ययन रुचि के विषय में जानकारी करते रहें। विशेष ध्यान रखें कि वह अपने अध्ययन की ओर समुचित ध्यान दे रहा है अथवा कुत्सित संगत में पड़कर अपने समय और आपके धन का दुरुपयोग कर रहा है। समय समय पर महाविद्यालय में सम्पर्क करें।

आशा है आपके सहयोग से महाविद्यालय परिवार आपके बच्चे को सुरक्षित भविष्य से युक्त नव–जीवन प्रदान करने के पुनीत कार्य में सफल होगा। इस हेतु मैं आप सभी से सहयोग का आकांक्षी हूँ।

प्राचार्य

AFFILIATED TO CSJM UNIVERSITY, KANPUR

PT. KUNDAN LAL SHUKLA MAHAVIDYALAYA

Rania, Kanpur Dehat (U.P.)
Mob. : 6392116125, 9455566642
E-mail Id: ptkundanlalshuklmv@gmail.com
Website: www.ptkundanlalshuklamahavidyalaya.org.in\

पं0 कुन्दन लाल शुक्ल महाविद्यालय

रनियाँ, कानपुर देहात

संस्थापन वर्ष–2005

''कानपुर देहात का गौरव कला, विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा संकाय एवं शारीरिक शिक्षा संकाय में उच्च शिक्षा एवं शोध का मानक, उत्तम शिक्षण, उत्कृष्ट शिक्षा परिणाम, अनुशासन, नैतिक मूल्यों के संवर्धन, राष्ट्रीय स्वाभिमान एवं पावन परीक्षा के लिये संकल्पबद्ध''।

संकल्प - परिणति

कानपुर देहात के औद्योगिक क्षेत्र रनियाँ में उच्च शिक्षा के सर्वांगीण विकास के लिए माँ सरस्वती की असीम अनुकम्पा एवं प्रेरणा से वर्ष 2005 में संस्थापित पं0 कुन्दन लाल शुक्ल महाविद्यालय, प्रसिद्धपुर रनियाँ, कानपुर देहात में है। इसकी संस्थापना डा0 सतीश शुक्ल द्वारा अपने पूज्य दादा जी की अक्षुण स्मृति की परिणति है।

कानपुर देहात जनपद के इस औद्योगिक क्षेत्र में उच्चशिक्षा के आभाव को दूर करने हेतु तथा नैतिक मूल्योमय अनुशासित एवं सुयोग्य छात्र–छात्राओं की उत्कृष्ट शिक्षा हेतु आधुनिकतम उपकरणों से युक्त सुसज्जित प्रयोगशालाओं की व्यवस्था तथा यू0जी0सी0 अर्हता धारक विश्वविद्यालय से अनुमोदित सुयोग्य शिक्षकों द्वारा बी0ए0, बी0काम0, बी0एस0सी0, एम0ए0, एम0एस0सी0, बी0एड0, बी0पी0एड0 एवं बी0टी0सी0, डी0–फार्मा स्तर की शिक्षा प्रदान कर क्षेत्र को विकसित एवं गौरवशाली बनाने का हमारा लक्ष्य है।

प्रयोगशालायें

महाविद्यालय भवन में शिक्षण कक्ष तथा प्रायोगिक शिक्षण के लिये भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, शिक्षा शास्त्र सहित बी.एड. संकाय हेतु आधुनिक उपकरणो से सुसज्जित प्रयोगशालायें हैं।

PHYSICS LAB

CHEMISTRY LAB

COMPUTER LAB

BOTONY LAB

ZOOLOGY LAB

D. Pharm Lab

B.P.Ed LAB

D. Pharm Lab

10. किसी भी दशा में अनाधिकृत व्यक्ति को महाविद्यालय परिसर में न लायें।

11. महाविद्यालय की सम्पत्ति आपकी है इसे क्षति न पहुंचायें। महाविद्यालय के सुन्दरीकरण में सहायक हो।

12. सूचनापट का नियमित अवलोकन करते रहें।

उपस्थिति

शासन के नवीन आदेशों के अनुसार न्यूनतम उपस्थिति की अनिवार्यता को कड़ाई से लागू करने के आदेश दिये गये हैं अतः विद्यार्थी नियमित रूप से कक्षाओं में उपस्थित रहे जिससे वे 75: की उपस्थिति पूर्ण कर सकें। अन्यथा विश्वविद्यालय परीक्षा में सम्मिलित होने से उन्हें रोक दिया जायेगा जिसके लिये वे पूर्णतः जिम्मेदार होंगे।

अध्यादेश के अध्याय–5 की धारा–16 प्रावधान के अनुसार जिसमें 75: उपस्थिति आवश्यक है, में 5: की छूट प्राचार्य अपने स्तर पर दे सकते हैं तथा 10: की छूट प्राचार्य की संस्तुति पर कुलपति महोदय को देने का अधिकार है। नियमानुसार सत्र आरम्भ होने की तिथि से उपस्थिति की गणना की जाएगी। अतः किसी भी दशा में विद्यार्थी 60: से कम उपस्थिति पर परीक्षा में न बैठ सकेगा। विलम्ब से प्रवेश पर भी उपस्थिति की गणना सत्रारम्भ से होगी।

छात्रवृत्तियाँ

शासन द्वारा छात्रवृत्तियों की सुविधा भी विद्यार्थियों को प्राप्त है प्रमुख छात्रवृत्तियाँ निम्न हैं–

(क) अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति।

(ख) सैनिकों के आश्रितों एवं बच्चों को छात्रवृत्ति।

(ग) विकलांग छात्रवृत्ति।

(घ) छात्र कल्याण निधि द्वारा मेधावी छात्रों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता।

(ङ) वर्ग के लिए दी जाने वाली छात्रवृत्ति हेतु निर्धारित आवेदन पत्र प्रदेश प्रक्रिया की अन्तिम तिथि से एक माह के अन्दर कार्यालय में जमा करें। विलम्बित आवेदन पत्रों पर विचार नहीं होगा। शेष वर्ग की छात्रवृत्तियों की सूचना यथासमय पर दी जायेगी। यदि कोई अन्य छात्रवृत्ति की सुविधा होती है तो उसकी अधिसूचना कार्यालय द्वारा निर्गत की जाएगी मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिए छात्र कल्याण की स्थापना की जाएगी।

CHAIRMAN'S MESSAGE

I delightfully welcome you to the **Pt. KUNDANLAL SHUKLA MAHAVIDYALAYA** (Affiliated to CSJM University Kanpur) to pursue your education with us. It is my vision to provide the nation with motivated, responsible and disciplined youth to shape a better future. The college is situated in peaceful and environment friendly surroundings .

Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. This is not only a key to unlock the golden door of freedom but it launches one in the world with equipped skills of mind and reasoning .

Our experienced and dedicated faculty nurtures and ignites the young minds through strong academics, co- curricular activities which are aimed at total personality development of the students .

Our aims to draw your expert knowledge in your relevant fields in order to further enhance , strengthen and reinforce the overall quality of the institute .

"Education is not the learning facts , but the training of the mind to think "

I wish you all good luck and let's work harder to achieve bigger and better milestone in the coming years.

DR. SATISH SHUKLA
(CHAIRMAN)

पाठ्यक्रम

स्नातक - कला B.A.

विषय : छात्र छात्राओं हेतु त्रिवार्षिक पाठ्क्रम में निम्न विषयों के अध्ययन की सुविधा उपलब्ध है –
हिन्दी साहित्य, हिन्दी भाषा, अंग्रेजी साहित्य, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, एवं शिक्षा शास्त्र।

स्नातक वाणिज्य - B.Com. विषय – सभी अनिवार्य विषय

स्नातक विज्ञान - B.Sc. विषय – भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जन्तु विज्ञान व गणित

परास्नातक कला - M.A. विषय – अंग्रेजी, शिक्षा शास्त्र, हिन्दी एवं समाज शास्त्र

परास्नातक विज्ञान - M.Sc. विषय – भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, वनस्पति विज्ञान, जन्तु विज्ञान

परास्नातक वाणिज्य - M.Com. विषय – सभी अनिवार्य विषय

बी.एड. - B.Ed. विषय – कला, विज्ञान एवं वाणिज्य विशिष्टता सहित।

बी.पी.एड. - B.P.Ed. विषय – सभी अनिवार्य विषय

डी.एल.एड./बी.टी.सी. - D.El.Ed./B.T.C. विषय – सभी अनिवार्य विषय

डी–फार्मा – D. Pharm विषय – शिक्षा विश्वविद्यालय के नियमानुसार।

अति आवश्यक निर्देश

1. सभी विद्यार्थियों को अपने प्रवेश की रसीद व परिचय पत्र सुरक्षित रखना है।
2. परिचय पत्र के वगैर महाविद्यालय में प्रवेश वर्जित है। प्रवेश–द्वार पर ही परिचय पत्र दिखाना अनिवार्य है।
3. परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए 75: उपस्थिति अनिवार्य है। उपस्थिति कम होने की स्थिति में परीक्षा में सम्मिलित न होने दिया जायेगा।
4. अर्द्धवार्षिक परीक्षा ..... दिसम्बर 20..... से ..... दिसम्बर 20..... तक होगी। जिसमें 25: अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।
5. सभी विद्यार्थियों को प्रवेश लेने के सात दिन के अन्दर ही विश्वविद्यालय परीक्षा आवेदन–पत्र एवं नामांकन–पत्र भरकर जमा करना अनिवार्य है।
6. महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के नियमों का पालन विद्यार्थी के लिए बाध्यता होगी।
7. महाविद्यालय में पान, तम्बाकू, पान मसाला एवं धूम्रपान वर्जित है। दोषी छात्र को अर्थदण्ड के साथ–साथ प्रवेश निरस्त का दण्ड भी दिया जायेगा।
8. अर्द्धवार्षिक परीक्षा एवं परीक्षा आवेदन की तिथियाँ विश्वविद्यालय के आदेशानुसार ही परिवर्तित होंगी।
9. प्रवेश की अन्तिम तिथि 31 जुलाई 20.....
10. कृपया महाविद्यालय के मोबाइल नं. पर प्रात: 10 बजे से सायं 4 बजे तक ही सम्पर्क करें।

प्रतिबन्ध

1. विश्वविद्यालय परीक्षा में अनुचित साधन प्रयोग करने वाले छात्र/छात्राओं का प्रवेश पूर्णत: वर्जित है।
2. यदि अभ्यर्थी किसी अपराध में दण्डित हो चुका है या किसी न्यायालय में अभियुक्त है तो प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यदि प्रवेश हो चुका है तो निरस्त कर दिया जायेगा।
3. जिन छात्र/छात्राओं का गत वर्ष अपने अध्यापकों अथवा महाविद्यालय प्रशासन के साथ संतोषजनक आचरण नहीं रहा है या उन्होंने किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता की है उनका महाविद्यालय में प्रवेश कदापि न होगा।
4. यदि कोई छात्र असत्य तथ्य प्रस्तुत कर प्रवेश करा लेता है तो सत्यता की जानकारी मिलते ही उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा। ऐसी दशा में उसका शुल्क वापस नहीं होगा।
5. संस्था के किसी विद्यार्थी को दूसरे महाविद्यालय में स्थानान्तरित नहीं किया जाएगा।

आवश्यक निर्देश

1. विवरणिका का सावधानी से अध्ययन करें। महाविद्यालय के नियमों व्यवस्थाओं को भली–भाँति समझकर उन्हें अपने आचरण का अंग बनाएं।
2. महाविद्यालय में छात्र/छात्राओं का वार्तालाप मृदु और नम्र होना चाहिए ध्यान रहे कि आपकी बातचीत से समीप लग रही कक्षाओं तथा अन्य व्यवस्थाओं में विघ्न न पड़े।
3. कोई भी छात्र कालेज परिसर में धूम्रपान या अन्य नशा नहीं करेगा, ऐसा करना दण्डनीय है।
4. यदि आपको कोई कठिनाई है तो विवरण पत्रिका के निर्देशानुसार सम्बन्धित अधिकारी के समक्ष उसे विनम्रतापूर्वक रखें। वही उसका अन्तिम निस्तारण करने में सक्षम है।
5. प्रत्येक कार्य के लिए प्राचार्या के पास न जायें। यदि आवश्यक हो तो केवल सम्बन्धित व्यक्ति ही अनुमति लेकर मिल सकता है किसी अन्य सम्बन्धित व्यक्ति को अपने साथ कदापि न लाएं।
6. प्राचार्य कक्ष के समक्ष छात्र समूह में एकत्रित न हों। प्राध्यापक कक्ष में छात्रों का प्रवेश वर्जित है यदि कक्ष में उपस्थिति किसी प्रोफेसर से कार्य है तो अनुचर के माध्यम से अनुमति लेकर भेंट की जा सकती है।
7. कार्यालय में छात्र प्रवेश नहीं करेंगे अपितु काउन्टरों पर सम्बन्धित कर्मचारियों से समपर्क करेंगे।
8. महाविद्यालय परिसर में समय पर वैध परिचय पत्र होना चाहिए। इसकी अवहेलना करने पर उसे महाविद्यालय परिसर से बाहर किया जा सकता है।
9. अन्य सार्वजनिक बाहनों जैसे बस, टैम्पो आदि से यात्रा करने वाले छात्र विधिवत टिकट लेकर या प्रदत्त सुविधा का लाभ उठाकर ही यात्रा करें। ऐसा न करने पर छात्र पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

पुस्तकालय

महाविद्यालय के पुस्तकालय में पाठ्यक्रम आधारित लगभग 10,000 पाठ्य पुस्तकें, सी.डी., जरनल, सन्दर्भ ग्रन्थ आदि का संग्रह है, जो छात्र छात्राओं के पढ़ने के लिए उपलब्ध हैं। पुस्तकों के वृहद भण्डार के साथ छात्र छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए पत्र–पत्रिकायें भी उपलब्ध हैं।

पुस्तकालय सदस्यता :

प्रत्येक विद्यार्थी को यह सुविधा है कि वह प्रवेश तिथि से एक माह के अन्दर पुस्तकालय सदस्यता प्राप्त करें। यह उनके हित में है कि परिचय पत्र दिखा कर पुस्तकालय हेतु पंजीकरण कराकर पुस्तकालय कार्ड प्राप्त कर लें। कार्ड पर लिखे नियमानुसार ही पुस्तकें निर्गत की जा सकेंगी।

पुस्तकालय नियमावली :

1. निम्नांकित व्यक्ति ही पं0 कुन्दन लाल शुक्ल महाविद्यालय से पुस्तके प्राप्त करने के अधिकारी होंगे।
   - (क) प्राध्यापक कुल के सदस्य
   - (ख) नियमित छात्र/छात्रायें
2. प्रत्येक पुस्तक प्राप्तकर्ता के पास सदस्यता कार्ड रहेगा। इस कार्ड पर प्राप्त पुस्तकों तथा बिलम्ब हेतु अंकित धनराशि के लिए प्राप्तकर्ता उत्तरदायी रहेगा। कार्ड सर्वथा अपरिवर्तनीय होगा और खो जाने पर 100/– रुपया देने के पश्चात ही बन सकेगा।
3. सामान्यतः पुस्तकें लौटाने की अवधि – (क) वर्ग के लिए एक माह तथा (ख) वर्ग के लिए 14 दिन होगी। उपरोक्त दोनों वर्गो की पुस्तकों का नवीनीकरण केवल प्रवक्ता प्रभारी की अनुमति से एक बार होगा। बशर्ते उस पुस्तक का अभियाचन न हुआ हो।
4. विलम्ब से पुस्तकें लौटाने पर प्रतिदिन प्रति पुस्तक 50/– रु. अर्थदण्ड होगा।
5. पुस्तकालय प्रभारी कोई भी पुस्तक किसी भी समय अवधि समाप्ति के पूर्व वापस माँग सकते हैं अथवा किसी भी पुस्तक से निर्गमन पर रोक लगा सकते हैं।
6. विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम संदर्भ ग्रन्थ, शब्दकोश, इन्साइक्लोपीडिया, विरल ग्रन्थ, विशेष सुरक्षित ग्रन्थ, पत्र पत्रिका तथा सरकारी प्रतिवेदन निर्गमित नहीं होंगे। ये केवल पुस्तकालय में ही कार्ड जमा करने के पश्चात् पढ़े जा सकेंगे।
7. (ख) वर्ग के व्यक्ति वार्षिक परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र प्राप्त करने से पूर्व सदस्यता कार्ड सहित सभी पुस्तकें वापस करेंगे।
8. पुस्तकालय सम्बन्धी अन्य नियम समय–समय पर सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा निर्धारित और प्रकाशित होंगे जिनका पालन सभी वर्गो के लिए अनिवार्य होगा।

प्रवेश, विषय चयन एवं शुल्क प्रक्रिया

प्रवेश हेतु योग्यता :

माध्यमिक शिक्षा परिषद उ.प्र. की इण्टरमीडिएट परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा में कला संकाय, विज्ञान संकाय, वाणिज्य संकाय हेतु कम से कम 40 प्रतिशत तथा प्राप्तांकों सहित उत्तीर्ण किन्तु अनुसुचित एवं पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं हेतु कोई प्रतिबंध नहीं केवल इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण।

विषय चयन :

बी.ए./बी.एस.सी प्रथम वर्ष में प्रवेशार्थी अध्यापित विषयों में से किन्हीं तीन विषयों का चयन कर सकते है।

(क) बी.ए./बी.एस.सी. तृतीय वर्ष के छात्र/छात्रायें प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में अध्ययन किये विषयों में से कोई दो विषय चयन करेंगे।

(ख) बी.ए./बी.एस.सी. प्रथम एवं तृतीय वर्ष में एक बार विषय चयन कर लिये जाने पर विषय परिवर्तन की अनुमति सामान्यतः नहीं दी जायेगी। यदि कोई छात्र विषय परिवर्तन चाहता है तो वह विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित रु. 2000/– की रसीद के साथ अपना प्रार्थना–पत्र कार्यालय में जमा करेगा। परिवर्तित विषयों में स्थान रिक्त होने पर ही परिवर्तन की अनुमति दी जा सकेगी तथा अनुमति न मिलने की दशा में शुल्क वापस न होगा। उक्त कार्य प्रवेश लेने के एक माह के अन्दर ही होगा।

(ग) विश्वविद्यालय द्वारा किये गये परिवर्तन सभी छात्रों को मान्य होंगे।

प्रवेश हेतु आवेदन :

1. प्रवेश हेतु इच्छुक छात्र/छात्रायें महाविद्यालय कार्यालय में 100 /– रु0 जमा करके विवरण पुस्तिका सहित आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं।
2. निर्धारित प्रपत्र पर पूर्ण रूपेण भरा हुआ आवेदन पत्र वांछित संलग्नकों सहित निर्धारित तिथि तक प्रवेश समिति के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक है। विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।

3. प्रवेश के समय छात्र/छात्राओं को आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्र संलग्न करना नितांत आवश्यक है–

(क) हाईस्कूल परीक्षा के प्रमाण पत्र की सत्यापित फोटोस्टेट प्रतिलिपि

(ख) इण्टरमीडिएट परीक्षा की अंकतालिका की सत्यापित फोटोस्टेट प्रतिलिपि

(ग) अन्तिम विद्यालय का स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (टी.सी.)

(घ) अन्तिम विद्यालय के चरित्र प्रमाण–पत्र की मूल प्रति

(ङ) इस महाविद्यालय से ही संस्थागत छात्र के रूप में प्रथम वर्ष अथवा द्वितीय वर्ष उत्तीर्ण करने वाले छात्र/छात्राओं को द्वितीय अथवा तृतीय वर्ष में प्रवेश हेतु केवल विगत वर्ष की अंकतालिका की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करना पर्याप्त है।

प्रवेश सम्बन्धी नियम :

1. प्रवेश समिति की संस्तुति हो जाने पर निर्धारित शुल्क एवं अन्य देय उसी दिन कार्यालय काउन्टर पर जमा करना होगा। शुल्क न जमा होने पर प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।
2. महाविद्यालय के प्राचार्य को बिना कारण बतायें, प्रवेश न करने अथवा रद्द करने का पूर्ण अधिकार है।
3. किसी भी अभ्यर्थी का प्रवेश तब तक पूर्ण नहीं माना जायेगा जब तक सम्पूर्ण वांछित प्रपत्र महाविद्यालय कार्यालय में जमा नहीं करता है।
4. बी.ए./बी.काम./बी0एस0सी0/एम0ए0/एम0एस0सी0/बी0पी0एड0 प्रथम वर्ष में प्रवेश योग्यता वरीयता के आधार पर होंगे।
5. विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अन्तिम तिथि के उपरान्त किसी का प्रवेश नहीं हो सकेगा।

बी. एड.

कला, विज्ञान एवं वाणिज्य विशिष्टता सहित। बी.एड. कक्षाओं में 100 प्रतिशत छात्रों का प्रवेश उ.प्र. सरकार/वि.वि. द्वारा संचालित काउँसिलिंग के आधार पर लिया जाता है।

डी.एल.एड./बी. टी.सी.

सभी अनिवार्य विषय। डी.एल.एड./बी.टी.सी. कक्षाओं में 100 प्रतिशत छात्रों का प्रवेश उ.प्र. सरकार द्वारा संचालित काउँसिलिंग के आधार पर लिया जाता है।

शुल्क :

उ0प्र0 शासन की राजाज्ञा दिनांक 11 सितम्बर 1997 के प्राविधानों के अन्तर्गत शिक्षण शुल्क निर्धारित होगा।

(1) मासिक शुल्क : शिक्षण शुल्क, सहार्धता शुल्क, प्रयोगशालाओं का शुल्क, जेनरेटर शुल्क।

(2) वार्षिक शुल्क : प्रवेश, ग्रीष्म–शीत त्रतु, परीक्षा, ब्रेकेज चार्ज, पत्रिका, परिचय पत्र विद्यार्थी, सहायता, छात्र कल्याण, छात्र पंजिका, छात्र चिकित्सा, क्रीड़ा, विकास, पुस्तकालय कक्ष एवं रीडिंग रूम, पत्राचार, बैंकिंग एवं वार्षिकोत्सव शुल्क।

(3) विश्वविद्यालय परीक्षा शुल्क : वि0वि0 परीक्षा आवेदन फार्म, क्रीड़ा शुल्क वि0वि0 नामांकन व वि0वि0 परीक्षा शुल्क परीक्षा फार्म के समय लिया जायेगा।

(4) अनुरक्षण शुल्क : प्रयोगशाला, अनुरक्षण, सामान्य अनुरक्षण शुल्क।

भवन

प्राकृतिक सौन्दर्य के शान्त एवं स्वास्थयकर परिवेश में महाविद्यालय अपने में समाहित किये है। भवन के कक्ष हवादार एवं प्राकृतिक प्रकाश से परिपूर्ण हैं। भवन के चारों ओर प्राकृतिकता की अनुपमेय छटा है।

परिचय-पत्र

1. प्रवेश पूर्ण होते ही विद्यार्थी को कार्यालय से अपना परिचय पत्र प्राप्त करना होगा जिसके लिए फीस की रसीद दिखाना आवश्यक है।
2. परिचय पत्र पूर्ण रूप से भरकर तथा उस पर छायाचित्र भलीभाँति चिपकाकर प्राचार्य एवं अनुशासन से हस्ताक्षरित करवाया जाय।
3. बिना फोटो लगा व अहस्ताक्षरित परिचय पत्र वैध नहीं माना जायेगा।
4. परिचय पत्र अहस्तान्तरणीय है उसे सुरक्षित रखें व किसी अन्य को न दें।